हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेरों
रामेश्वर ब्राह्मण बनाम जगदीश ब्राह्मण वगैरह
प्र. 66/15

सूचित होने के बावजूद भी नियत तारीख पर अनु० रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली वास्ते कायमी तनकी पर्चा हेतु दि० 3-4-18 को पेश हो।	सोहनलाल शर्मा प्रे० म रा० मु जयनारायण शर्मा
3-4-18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी की उपस्थिति मे प्रकरण मे तनकी पर्चा कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दि० 17-5-18 को पेश हो।	

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बेरां में पेश हुई। पक्षकारान उभयपक्ष शिविर के दौरान अनुपस्थित। प्रकरण विगत 03 वर्षो से लम्बित होकर वर्तमान में वादीगण की शहादत्त प्रस्तुतिकरण के चरण में विचाराधीन है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का बारीखी से अध्ययन व परिक्षण किया गया। पत्रावली पर प्राप्त राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 हेतु उभयपक्ष पक्षकारान को जारी सूचनापत्रों में से वादीया 08 का फौत होना अंकित पाया गया। इस पर शिविर में मौजूद मौतबिरान से इस संदर्भ मे पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा वादीया कम 08 का देहान्त 03 वर्ष पूर्व ही, दिनांक 21.04.2015 को हो जाने से न्यायालय को अवगत कराते हुए प्रमाण में वादीया कम 08 का मृत्यु प्रमाण शिविर के दौरान ही प्रस्तुत किया गया। वादीया द्वारा यह वादपत्र दिनांक 19.08.2015 को प्रस्तुत किया गया था, यानि वादीया द्वारा यह वादपत्र प्रस्तुतिकरण से 04 माह पूर्व ही वादीया कम 08 का देहान्त हो चुका था। इससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण पक्ष द्वारा यह वादपत्र दोषपूर्ण/त्रूटीपूर्ण न्यायालय को अन्धेरे में रखते हुए, झूटी दाद चाहने की नियत से प्रस्तुत किया है।

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण पाये जाने से इसी स्तर खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी